

**प्रधानमंत्री आवास योजना BLC के समस्त फार्म झोनल कार्यालय में जमा होंगे।**

**PMAY (BLC) के हितग्राही चयन हेतु चेक लिस्ट :-**

- (1) हितग्राही टेनेबल बस्ती का निवासी होना चाहिए।
- (2) हितग्राही का स्वयं का कच्चा घर हो जिसकी भूमि का स्वामित्व स्वयं का हो।
- (3) परिवार के किसी भी सदस्य का भारतवर्ष में कोई घर नहीं होना चाहिए इस संबंध में हितग्राही द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (4) हितग्राही के परिवार की वार्षिक आय 3.00 लाख सालाना से कम हो, शपथ पत्र पर लिखवाना।
- (5) लगभग 30 वर्गमीटर कारपेट एरिया के लिए 2.50 लाख का Govt. (GOI + MP Govt.) मिलेगा।
- (6) स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों में पक्का पट्टा/रजिस्ट्री की मालकी के दस्तावेज आवश्यक है।
- (7) बैंक अकाउंट नंबर एवं IFSC code होना जरूरी।
- (8) हितग्राही का आधार कार्ड लेना जरूरी।
- (9) BLC के निर्धारित फार्म में समस्त जानकारी भरवाना जरूरी।
- (10) कच्चे घर के सामने हितग्राही की फोटो लगवाना।
- (11) उपरोक्त चेक लिस्ट का सत्यापन संबंधित झोन के इंजीनियर द्वारा किया जाना जरूरी।